

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुधांशु शेखर राय,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
सभी भवन प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक-.....

विषय:- निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य में संलग्न निर्माण कामगारों का बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निबंधन कराने के संबंध में।

प्रसंग:- श्रम संसाधान विभाग का पत्रांक-39, दिनांक-09.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में कहना है कि कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कल्याणार्थ कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिकों का बोर्ड के अन्तर्गत निबंधन होना आवश्यक है। बोर्ड में निबंधन हेतु बोर्ड पोर्टल www.bocw.bihar.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निर्माण श्रमिक अपना निबंधन कराने के लिए स्वयं अथवा CSC के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाईन कर सकते हैं।

अतः अपने अधीन कार्यरत सभी संवेदको को अपने स्तर से कार्यरत निर्माण श्रमिकों का निबंधन कराना सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाए ताकि बोर्ड द्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा से निर्माण श्रमिक आच्छादित हो सकें।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (पटना/दक्षिण/उत्तर)/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

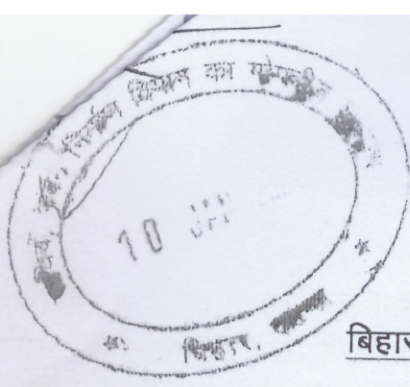
ज्ञापांक- 1158 (अ) 31/3

दिनांक- 02/2/24

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1-2-24

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव



93/11/24
18/11/24

पत्र सं०- बी.सी.डब्लू.सी.-42/2020 (खंड-I) श्र०सं०- 39

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना।

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर,

प्रधान सचिव-सह- अध्यक्ष (बोर्ड)।

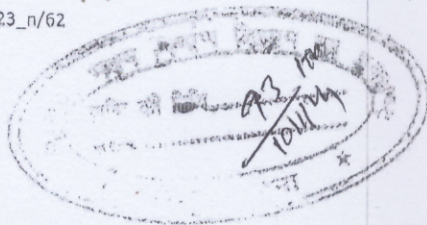
सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना /मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ उर्जा विभाग, बिहार, पटना/ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना/परिवहन विभाग, पटना/खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/ कल्याण विभाग (समाज कल्याण सहित), बिहार, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, गाँधी मैदान, पटना/बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि०/बिहार राज्य जल पर्षद/पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, गाँधी मैदान, पटना/ बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार, पटना।
3. अध्यक्ष -सह- प्रबंध निदेशक, आवास बोर्ड, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना।
4. अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, पटना/बिहार राज्य खेल प्राधिकरण/बिहार रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा), सोन भवन, पटना।
5. क्षेत्रीय विकास आयुक्त -सह- अध्यक्ष, सोन कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, पटना।
6. निदेशक -सह- सचिव, नागरिक विमानन विभाग, बिहार, पटना।
7. कारा महानिरीक्षक, गृह (कारा विभाग), पटना।
8. प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, सुल्तान पैलेस, पटना।
9. सभी नगर आयुक्त।
10. सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
11. सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक :- 09.01.2024

विषय :- निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य में संलग्न निर्माण कामगारों का बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निबंधन कराने के संबंध में।

D/2023/rd_itr_23_n/62



DDZ/18/11/24

18/11/24

निदेशक

प्रमुख

निर्माण विभाग

18/11/24

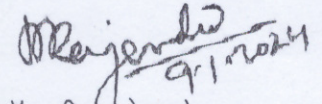
Dme
157
18/11/24

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित है। कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कल्याणार्थ कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिकों का बोर्ड के अन्तर्गत निबन्धन होना आवश्यक है। प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति को छोड़कर कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रमिक के रूप में शारिरिक, पर्यवेक्षण, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य, वेतना या पारिश्रमिक के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति निर्माण श्रमिक की परिभाषा में शामिल हैं। बोर्ड में निबन्धन हेतु बोर्ड के पोर्टल www.bocw.bihar.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। निर्माण श्रमिक अपना निबन्धन कराने के लिए स्वयं अथवा CSC के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाईन कर सकते हैं।

अतएव अनुरोध है कि आपके विभाग अन्तर्गत हो रहे निर्माण कार्यस्थलों पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों का निबन्धन कराने हेतु अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय ताकि बोर्ड द्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा से निर्माण श्रमिक आच्छादित हो सकें।

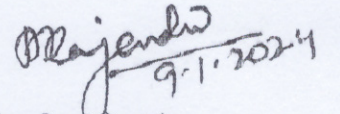
विश्वासभाजन



(डॉ० बी राजेन्द्र)

प्रधान सचिव -सह- अध्यक्ष (बोर्ड)

ज्ञापांक- बी.सी.डब्लू.सी.-42/2020 (खंड-I) श्र०सं०-39 पटना, दिनांक-09.01.2024
प्रतिलिपि-सभी उप श्रमायुक्त/ सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत हो रहे निर्माण कार्यों पर कार्यरत सभी निर्माण कामगारों का बोर्ड में निबन्धन कराना सुनिश्चित करें।



(डॉ० बी राजेन्द्र)

प्रधान सचिव -सह- अध्यक्ष (बोर्ड)